APPENDIX VI

CERTIFICATE OF LAND

File No..,.......................... Date 22.6.2017

Certificate of land measuring 9250 Sq meter (Area of land in Sq. meters) situated in 359/1, 354/1 (Plot No. (s)/Survey No. (s) Khasra No. (s), at Sultanpur Bahye, Hadud ZA Sultanpur Saharanpur (Name of street/village, sub Division, district and state) fully described in the schedule mentioned hereinafter is owned by Keshwe Nand Tiwari, Ram Nath Aphaje, Gunjan Garg, Jahanvi Tiwari, Salil Garg, Seema (Name of owner) in terms of Sale deed (give detail of document/deed – i.e. sale deed/perpetual lease deed/gift deed/will/trust deed or other documents of title) dated 3/12/14 executed by Registrar III, Saharanpur Duly registered on 3/12/14 (date) at Serial no. 8963, 8964 in book no 1 volume no 3095 on page 211 to 244, to 245 to 272 (complete detail of registration) in the office of Registrar III, SRE (detail of registration office). It is certified that the said entire land comprise of a single plot of land.

It is further certified that the owner of the land has leased the said land to Dr Radha Krishan Educational Society (name of lease) vide lease deed dated 20/10/15 for a period of 30 years duly registered on 20/10/15 (date) at a Serial No 10190, 10188 in book No 1, volume no 3520 on page 153 to 162 to 143 to 152 (complete detail of registration in the office of Registrar III, Saharanpur (detail of registration office) and the land is still in possession of the lessee.

It is further certified that Himalayan International School (Name of school with name of street/village, sub-division and district) is located on the said plot of land.

THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 9250 Sq meter (area of land in square meters) situated in 359/1, 354/1 [Plot No.(s)/Survey No.(s)/Khasra No. (s)], at Sultanpur Baye Hadud ZA Sultanpur Saharanpur (name of street/village,sub-division and state) and bounded as follows:

North 351/3, 353

East Link Road Firozabad

West 360, 361

South 355/2, 354/2

22.6.2017

221/06/17 R.J. Seal

DISTRICT MAGISTRATE/REGISTERING AUTHORITY WITH DESIGNATION

नायब तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
तहसील सदर सहारनपुर (उ०प्र०)

तहसीलदार
सहारनपुर

(Name of Officer)
(Name of District)

90

19/01/18

उप जिलाधिकारी
सहारनपुर

Note: Strike out whoever is not applicable.

Dated 10/05/2018

To

The secretary/ President

Dr Radha Krishanan educational Society

Moh Mandir ji, Sultanpur Chilkana

District Saharanpur

Subject: Acknowledgement of Original documents pledges with our bank

Dear Sir

We acknowledge that the following original documents are pledge with us and in safe custody of our bank branch Chilkana District Saharanpur. These documents are pledge by the society/ persons for term loan and cash credit limit for the construction and running of Himalayan International School.

Details of Documents are as under:

1) Lease deed for 30 years dated 20/10/2015 registration number 10189 Jild No 3520 Bahi No 1
2) Lease deed for 30 years dated 20/10/2015 registration number 10190 Jild No 3520 Bahi No 1
3) Sale Deed Registration No 8962 dated 3/12/2014 Bahi no 1 Jild No 3095 Page 167-210
4) Sale Deed Registration No 8963 dated 3/12/2014 Bahi no 1 Jild No 3095 Page 211-244

Thanking You

Branch Manager

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 69731

किरायानामा

अवधि :— 30 वर्ष।

किराया :— 12,000/— रुपये वार्षिक। स्टाम्प :— 1500/— रुपये

मै कि 1. केशवा नन्द तिवारी पुत्र स्व0 श्री महानन्द तिवारी निवासी 271ए/2 एकता विहार गढी कैन्ट देहरादून प0प0स0 आरएलए0025908

2. श्री प्राणनाथ पपनेजा पुत्र स्व0 श्री सोहन लाल निवासी बंदी गली रामनगर सहारनपुर आधार कार्ड नं0 952132350687

3. श्री गुंजन गर्ग पुत्र स्व0 श्री प्रेमनाथ गर्ग निवासी चकरौता रोड शहर सहारनपुर प0प0सं0 यूपी/84/418/0642654

प्रथम पक्षगण

व

डा0 राधा कृष्णन एजूकेशनल सोसाइटी, मौ0 मन्दिर जी सुल्तानपुर चिलकाना

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

क्रमांक 7 दिनांक 19-10-15
स्टाम्प का मूल्य 1000+500=1500
क्रेता का नाम व पता हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल ...
प्रयोजन ...
लेखपत्र का प्रकार ...
स्टाम्प विक्रेता का नाम मनोज कुमार जैन
ला० नं०...
स्टाम्प ... सहारनपुर

पट्टा विलेख (3 वर्ष)

प्रतिफल	औसत वार्षिक किराया	स्टाम्प ड्यूटी	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
	12,000.00		360.00	20	380.00	1,000

श्री केशवा नन्द तिवारी
पुत्र श्री स्व0 महानन्द तिवारी
व्यवसाय अन्य
निवासी स्थायी पता ...

... 20/10/2015 समय 4:45PM

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

... हेतु पेश किया।

देशराज
नि०लि०

ओमप्रकाश (प्रभारी)
उपनिबन्धक तृतीय
सहारनपुर
20/10/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

श्री केशवा नन्द तिवारी
पुत्र श्री स्व0 महानन्द तिवारी
पेशा अन्य
निवासी एकता विहार गढ़ीकैन्ट देहरादून

श्री प्राणनाथ पपनेजा
पुत्र श्री स्व0 सोहन लाल
पेशा अन्य
निवासी बेदी वाली राम नगर सहारनपुर

श्री गुंजन गर्ग
पुत्र श्री स्व0 प्रेमनाथ गर्ग
पेशा अन्य
निवासी चकरौता रोड सहारनपुर

पट्टा गृहीता

श्री रहतूलाल / सदस्य, प्र0स0 डा0 राधा कृष्णन एजु0 सोसा0
पुत्र श्री श्री सिंह
पेशा अन्य
निवासी रावणपुर खुर्द, सुलतानपुर, स0पुर

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

कार्यालय उप निबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

CHIEF TREASURY OFFICE 14 OCT 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 7715

सहारनपुर द्वारा सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति श्री रहतूलाल पुत्र शो सिहं निवासी ग्राम रावणपुर खुर्द परगना सुलतानपुर तहसील व जिला सहारनपुर जिनको समिति उक्त के प्रस्ताव दिनांक 5.10.2015 को किरायानामा पंजीकृत कराने के लिए अधिकृत किया गया है

..... द्वितीय पक्ष के हैं।

यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्षगण ने बजरिये रजि0 बैनामा इकरारी विजय कुमार जैन पुत्र स्व0 हुकमंचन्द जैन से खरीद की हुई है जिसकी रजि0 बही सं0 1 जिल्द-संख्या 3095 पृष्ठ सं0 167 से 210 पर नम्बर 8962 पर दिनांक 3.12.2014 को उप निबन्धक तृतीय सहारनपुर के कार्यालय में हुई। जिसके सम्बन्ध में प्रथम पक्षगण के द्वारा श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के न्यायालय से वाद सं0 117/15-16 केशवनानन्द तिवारी बनाम सरकार अ0 धारा 143 ज0वि0 अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 4.9.2015 के द्वारा अकृषिक भूमि अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत घोषित करा ली गई है। जिसके

Verified from original

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

क्रमांक 7 दिनांक 19-10-15

स्टाम्प का मूल्य 500

खरीदार का नाम व पिता का नाम

पत्रकार ३० पूरा पता

लेखपत्र का प्रकार

स्टाम्प विक्रेता का नाम: मनोज कुमार जैन

ला० न०–13/94–95

स्टाम्प वि० का स्थान: तह० नकुड सहारनपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री बाबूराम बाबूराम

पुत्र श्री रूसराम

पेशा अन्य

निवासी सुल्तानपुर चिलकाना सहारनपुर

व श्री जाह्नवी तिवारी

पुत्र श्री केशवा नन्द तिवारी Shivani

पेशा गृहिणी

निवासी एकता विहार गढी कैन्ट देहरादून

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

देशराज
नि०लि०

ओमप्रकाश (प्रभारी)
उपनिबन्धक तृतीय
सहारनपुर
20/10/2015

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Savita

Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

कार्यालय उप निबन्धक (तृतीय) ... उत्तर प्रदेश

प्रथम पक्ष मौके पर मालिक काबिज है और प्रथम पक्ष को जायदाद निम्नलिखित में पूर्ण अधिकार किराये पर देने के हक हासिल हैं जो आज तक हर प्रकार से पाक व साफ है और जिसके हर प्रकार से पाक व साफ होने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्षगण की है और सम्पत्ति निम्नलिखित अपनी मर्जी से प्रथम पक्षगण के द्वारा द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किराये पर दी गई है और द्वितीय पक्ष के द्वारा भी निम्नलिखित शर्तो के अनुसार सम्पत्ति निम्नलिखित को किराये पर लेनी तैय पाई गई है और निम्नलिखित शर्तों के दोनों पक्ष पाबन्द रहेंगे।

1. यह कि प्रथम पक्षगण ने द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित सम्पत्ति दिनांक 01 अक्टुबर 2015 से अग्रिम 30 वर्ष के लिए दिनाँक 30 सितम्बर 2045 तक के लिए मु0 12000/– रूपये प्रति वर्ष के हिसाब से किराये पर दी है।

Verified from true copy

2. यह कि जायदाद निम्नलिखित का प्रति वर्ष का किराया प्रति वर्ष द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को प्रत्येक वर्ष की जनवरी माह की 10 तारीख तक एडवांस अदा करता रहेगा।

3. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्षगण की निम्नलिखित सम्पत्ति में शिक्षण संस्थान चलाने के लिए किराये पर ली है तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा शिक्षण संस्थान के सुचारू रूप से संचालन हेतु स्थाई निर्माण करायेगा जायेगा तथा जो निर्माण है उसको पुनः निर्माण कराया जायेगा तथा उसकी मरम्मत व देखभाल कराई जायेगी तथा शिक्षण संस्थान के संचालन के लिए द्वितीय पक्ष के द्वारा जो भी उचित निर्माण व विकास कार्य कराने जरूरी होंगे उनको कराया जायेगा जिसमें प्रथम पक्षगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार से नहीं होगी।

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

4. यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा किरायेदारी के दौरान शिक्षण संस्थान में विधुत के लिए कनेक्शन लेकर जो भी विधुत का उपभोग किया जायेगा उसका बिल द्वितीय पक्ष के द्वारा ही अदा किया जायेगा तथा जो भी जल पूर्ति तथा अन्य टैक्स

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

पट्टा दाता

Registration No.: 10189 Year: 2,015 Book No.

0101 केशवा नन्द तिवारी

स्व0 महानन्द तिवारी

एकता विहार मेंदी कैन्ट देहरादून

अन्य

0102 प्राणनाथ पपनेजा

स्व0 सोहन लाल

ब्रेदी गली राम नगर सहारनपुर

अन्य

0103 गुंजन गर्ग

स्व0 प्रेमनाथ गर्ग

चकरौता रोड सहारनपुर

अन्य

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

शिक्षण संस्थान के लिए जरूरी होंगे उनको अदा करने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

5. यह कि द्वितीय पक्ष को सम्पत्ति निम्नलिखित को बैंक के पक्ष में बन्धक करने का अधिकार होगा जिसके लिए प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा ऋण को अदा करने की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

6. यह कि जायदाद निम्नलिखित द्वितीय पक्ष को अग्रिम 30 वर्ष के लिये किराये पर दी गयी है बाद गुजरने मियाद मजकूर अगर द्वितीय पक्ष जायदाद जैल को अपनी किरायेदारी में रखेंगा चाहेगा तो ऐसी सूरत में दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर किराया तय करके नया किरायानामा लिखवाकर अपनी किरायेदारी में आयन्दा के लिये रख सकेगा।

7. यह कि द्वितीय पक्ष जायदाद जैल में कोई ऐसा कार्य नहीं करेगे जो कानून के विरूद्ध हो या जिससे जायदाद जैल को कोई नुकसान पहुँचे या प्रथम पक्ष की जायदाद निम्नलिखित की मालियत में कमी आवे।

8. यह कि द्वितीय पक्ष-निम्नलिखित सम्पत्ति में से खसरा नम्बर 359/1 रकबई 0.7550 का 250/755 भाग रकबई 0.2500 हे0 व खसरा नम्बर 351/4 रकबई 0.054 हे0 कुल रकबई 0.3040 हे0 हेतु रास्ता जहान्वी तिवारी आदि को आने जाने के लिए देंगे। उक्त जमीन जाहन्वी तिवारी आदि ने दस्तावेज बैनामा नम्बर 8964 दिनांकी 3.12.2014 जिसकी रजि0 बही सं0 1 जिल्द 3095 पृष्ठ सं0 245 से 272 पर नम्बर 8964 पर उप निबन्धक तृतीय सहारनपुर के कार्यालय में हुई के द्वारा खरीद की हुई है।

9. यह कि बाद गुजरने मियाद मजकूर किरायेदारी द्वितीय पक्ष जायदाद जैल को अपने कब्जे किरायेदारी से खाली करके उस पर प्रथम पक्ष का कब्जा वाकई मौके पर मालकाना करा देगा कुछ उज्र नहीं होगा।

Verified from true copy

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

पट्टा गृहीता

Registration No. : 10189 Year : 2,015 Book No. : 1

0201 रहतूलाल / सदस्य, प्र0स0 डा0 राधा कृष्णन एजु0 सोसा0
श्री सिंह
शुवणपुर खुर्द, सुलतानपुर, स0पुर
अन्य

रहतूलाल

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

उप निबन्धक (द्वितीय) उत्तर प्रदेश

अतः यह दस्तावेज किरायानामा दोनों पक्षों ने रूबरू गवाहान स्वथ चित्त दशा में लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे। इति।

<u>तफसील जायदाद जो किराये पर ली, दी गयी है :-</u>

खसरा नम्बर 354/1 रकबई 4200 वर्ग मीटर वाके ग्राम सुलतानपुर बाहर हदूद परगना सुलतानपुर तहसील व जिला सहारनपुर जो नगर पंचायत सीमा चिलकाना सुलतानपुर से बाहर स्थित है।

<u>चौहददी</u>

पूरब :- लिंक मार्ग फिरोजाबाद–सुलतानपुर मार्ग।

पश्चिम :- खेत जाहन्वी तिवारी आदि।

उत्तर :- खेत राजीव कुमार जैन।

दक्षिण :- खेत राजकिरण।

Verified from true copy

ह0 प्रथम पक्ष

ह0 द्वितीय पक्ष

गवाह नं0 1

गवाह नं0 2

Smt Jahanvi Tiwari
W/o Sh. R.M. Tiwari

लेख तिथि :- 20 अक्टुबर 2015 ई0

टाईपकर्ता :- इन्द्रजीत सिंह।

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

रचियता :-

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 6973(

Verified from true copy

किरायानामा

अवधि :— 30 वर्ष।

किराया :— 12,000 / — रूपये वार्षिक। स्टाम्प :— 1500 / — रूपये

मै कि 1. श्रीमती जाह्नवी तिवारी पुत्री श्री वाचस्पति कोठियाल पत्नी श्री केशवानन्द तिवारी निवासी 271ए / 2 एकता विहार गढी कैन्ट देहरादून प0प0सं0 आरएलए 0025932

2. श्रीमती सरिता पत्नी श्री गुंजन गर्ग निवासी चकरौता रोड शहर सहारनपुर प0प0सं0 यूपी / 84 / 418 / 0642655

3. श्रीमती सीमा पत्नी श्री प्राणनाथ निवासी आवास विकास कालोनी शहर सहारनपुर प0प0सं0 यूपी / 84 / 418 / 795382 .... प्रथम पक्षगण

व

डा0 राधा कृष्णन एजूकेशनल सोसाइटी, मै0 मन्दिर जी सुल्तानपुर चिलकाना सहारनपुर द्वारा सदस्य प्रबन्धकारिणी समिति श्री रहतूलाल पुत्र शो सिहं निवासी ग्राम रावणपुर खुर्द परगना सुलतानपुर तहसील व जिला सहारनपुर

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

स्टाम्प विक्रेता का नाम मनोज कुमार जैन
ला० न०–13/94–98
स्टाम्प बिक्री का स्थान तह० नकुड़,सहारनपुर

पट्टा विलेख (3 वर्ष)

प्रतिफल	मालियत	औसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
		12,000.00	360.00	20	380.00	1,000

श्रीमती जाह्नवी तिवारी
पत्नी श्री केशवानन्द तिवारी
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी एकता विहार गढ़ी कैन्ट देहरादून
[illegible]
[illegible] दिनांक 20/10/2015 समय 4:50PM
[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दे. ज
रि०लि०

ओमप्रकाश (प्रभारी)
उपनिबन्धक तृतीय
सहारनपुर
20/10/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

श्रीमती जाह्नवी तिवारी
पत्नी श्री केशवानन्द तिवारी
पेशा गृहिणी
निवासी एकता विहार गढ़ी कैन्ट देहरादून

श्रीमती सरिता
पत्नी श्री गुंजन गर्ग
पेशा गृहिणी
निवासी चकरोता रोड सहारनपुर

श्रीमती सीमा
पत्नी श्री प्राणनाथ
पेशा गृहिणी
निवासी आवास विकास कालोनी सहारनपुर

पट्टा गृहीता

श्री रहतूलाल / सदस्य प्र0स0 डा0 राधा कृष्णन एजू0 सो0
पुत्र श्री शो सिंह
पेशा अन्य
,निवासी रावणपुर खुर्द सुलतानपुर सहारनपुर

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 771779

-2-

Verified from true copy

जिनको समिति उक्त के प्रस्ताव दिनांक 5.10.2015 को किरायानामा पंजीकृत कराने के लिए अधिकृत किया गया है

..... द्वितीय पक्ष के हैं।

यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति प्रथम पक्षगण ने बजरिये रजि0 बैनामा इकरारी विजय कुमार जैन पुत्र स्व0 हुकमचन्द जैन से खरीद की हुई है जिसकी रजि0 बही सं0 1 जिल्द संख्या 3095 पृष्ठ सं0 211 से 244 पर नम्बर 8963 पर दिनांक 3.12.2014 को उप निबन्धक तृतीय सहारनपुर के कार्यालय में हुई। जिसके सम्बन्ध में प्रथम पक्षगण के द्वारा श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के न्यायालय से वाद सं0 115/15–16 जाह्नवी तिवारी बनाम सरकार अं0 धारा 143 ज0वि0 अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 4.9.2015 के द्वारा अकृषिक भूमि अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत घोषित करा ली गई है। जिसके प्रथम पक्ष मौके पर मालिक काबिज है और प्रथम पक्ष को जायदाद निम्नलिखित में

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

क्रमांक 10 दिनांक 19-1-2015
स्टाम्प का मूल्य 500
खरीदार का नाम व पिता का नाम ....
....
पत्रकार का पूरा पता ....
लेखपत्र का प्रकार ....
स्टाम्प विक्रेता का नाम मनोज कुमार जैन
लाइ० न०-13/94-95
... सहारनपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री बाबूराम बाबूराम
पुत्र श्री परसराम
पेशा अन्य
निवासी चिलकाना सुलतानपुर सहारनपुर
व श्री गुंजन शर्मा
पुत्र श्री ... नाथ शर्मा
पेशा अन्य
निवासी चकरौता रोड सहारनपुर
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

देशराज
लि०लि०

ओमप्रकाश (प्रभारी)
उपनिबन्धक तृतीय
सहारनपुर
20/10/2015

कार्यालय उप ...

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Sarita
Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

पूर्ण अधिकार किराये पर देने के हक हासिल हैं जो आज तक हर प्रकार से पाक व साफ है और जिसके हर प्रकार से पाक व साफ होने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्षगण की है और सम्पत्ति निम्नलिखित अपनी मर्जी से प्रथम पक्षगण के द्वारा द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किराये पर दी गई है और द्वितीय पक्ष के द्वारा भी निम्नलिखित शर्तो के अनुसार सम्पत्ति निम्नलिखित को किराये पर लेनी तैय पाई गई है और निम्नलिखित शर्तों के दोनों पक्ष पाबन्द रहेंगे।

1. यह कि प्रथम पक्षगण ने द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित सम्पत्ति दिनांक 01 अक्टुबर 2015 से अग्रिम 30 वर्ष के लिए दिनांक 30 सितम्बर 2045 तक के लिए मु0 12000/— रूपये प्रति वर्ष के हिसाब से किराये पर दी है।

2. यह कि जायदाद निम्नलिखित का प्रति वर्ष का किराया प्रति वर्ष द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को प्रत्येक वर्ष की जनवरी माह की 10 तारीख तक एडवांस अदा करता रहेगा।

3. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्षगण की निम्नलिखित सम्पत्ति में शिक्षण संस्थान चलाने के लिए किराये पर ली है तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा शिक्षण संस्थान के सुचारू रूप से संचालन हेतु स्थाई निर्माण करायेगा जायेगा तथा जो निर्माण है उसको पुनः निर्माण कराया जायेगा तथा उसकी मरम्मत व देखभाल कराई जायेगी तथा शिक्षण संस्थान के संचालन के लिए द्वितीय पक्ष के द्वारा जो भी उचित निर्माण व विकास कार्य कराने जरूरी होंगे उनको कराया जायेगा जिसमें प्रथम पक्षगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार से नहीं होगी।

4. यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा किरायेदारी के दौरान शिक्षण संस्थान में विधुत के लिए कनेक्शन लेकर जो भी विधुत का उपभोग किया जायेगा उसका बिल द्वितीय पक्ष के द्वारा ही अदा किया जायेगा तथा जो भी जल पूर्ति तथा अन्य टैक्स शिक्षण संस्थान के लिए जरूरी होंगे उनको अदा करने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

Verified from true copy

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

पट्टा दाता

Registration No.: 10190 Year: 2,015 Book No.: 1

0101 जाह्नवी तिवारी

कैलाशानन्द तिवारी

एकता विहार गढ़ी कैन्ट देहरादून

गृहिणी

0102 सरिता

Sarita

गुंजन शर्मा

चकरोता रोड सहारनपुर

गृहिणी

0103 सीमा

Seema

प्राणनाथ

आवास विकास कॉलोनी सहारनपुर

गृहिणी

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

5. यह कि द्वितीय पक्ष को सम्पत्ति निम्नलिखित को बैंक के पक्ष में बन्धक करने का अधिकार होगा जिसके लिए प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा ऋण को अदा करने की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

6. यह कि जायदाद निम्नलिखित द्वितीय पक्ष को अग्रिम 30 वर्ष के लिये किराये पर दी गयी है बाद गुजरने मियाद मजकूर अगर द्वितीय पक्ष जायदाद जैल को अपनी किरायेदारी में रखना चाहेगा तो ऐसी सूरत में दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर किराया तय करके नया किरायानामा लिखवाकर अपनी किरायेदारी में आयन्दा के लिये रख सकेगा।

7. यह कि द्वितीय पक्ष जायदाद जैल में कोई ऐसा कार्य नहीं करेगे जो कानून के विरूद्ध हो या जिससे जायदाद जैल को कोई नुकसान पहुँचे या प्रथम पक्ष की जायदाद निम्नलिखित की मालियत में कमी आवे।

8. यह कि द्वितीय पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति में से खसरा नम्बर 359/1 रकबई 0.7550 का 250/755 भाग रकबई 0.2500 है० व खसरा नम्बर 351/4 रकबई 0.054 है० कुल रकबई 0.3040 है० हेतु रास्ता जहान्वी तिवारी आदि को आने जाने के लिए देंगे। उक्त जमीन जाहन्वी तिवारी आदि ने दस्तावेज बैनामा नम्बर 8964 दिनांकी 3.12.2014 जिसकी रजि० बही सं० 1 जिल्द 3095 पृष्ठ सं० 245 से 272 पर नम्बर 8964 पर उप निबन्धक तृतीय सहारनपुर के कार्यालय में हुई के द्वारा खरीद की हुई है।

9. यह कि बाद गुजरने मियाद मजकूर किरायेदारी द्वितीय पक्ष जायदाद जैल को अपने कब्जे किरायेदारी से खाली करके उस पर प्रथम पक्ष का कब्जा वाकई मौके पर मालकाना करा देगा कुछ उजर नहीं होगा।

अतः यह दस्तावेज किरायानामा दोनों पक्षों ने रूबरू गवाहान स्वथ चित्त दशा में लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे। इति।

Verified true copy

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

पट्टा गृहीता

Registration No. : 10190 Year : 2,015 Book No. : 1

0201 रहतूलाल / सदस्य प्र0स0 डा0 राधा कृष्णन एजू0 सो0
श्री सिंह
रावणपुर खुर्द सुलतानपुर सहारनपुर
अन्य

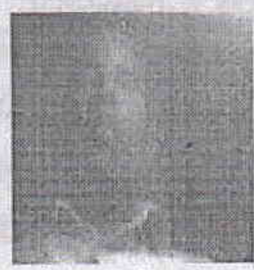

रहतूलाल

कार्यालय उप निबन्धक

Manager
Himalayan International School
Sultanpur ... (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

तफसील जायदाद जो किराये पर ली, दीं गयी है :–

खसरा नम्बर 359/1 रकबई 0.7550 हे0 का 505/755 भाग यानि 5050 वर्ग मीटर वाके ग्राम सुलतानपुर बाहर हदूद परगना सुलतानपुर तहसील व जिला सहारनपुर जो नगर पंचायत सीमा चिलकाना सुलतानपुर से बाहर स्थित है।

चौहददी

पूरब :– भूमि केशवानन्द तिवारी आदि

पश्चिम :– भूमि प्रथम पक्ष।

उत्तर :– भूमि राजीव कुमार जैन।

दक्षिण :– खेत खसरा नम्बर 359/2 मनोज कुमार जैन आदि।

ह0 प्रथम पक्ष

ह0 द्वितीय पक्ष

Verified from true copy

गवाह नं0 1

गवाह नं0 2.

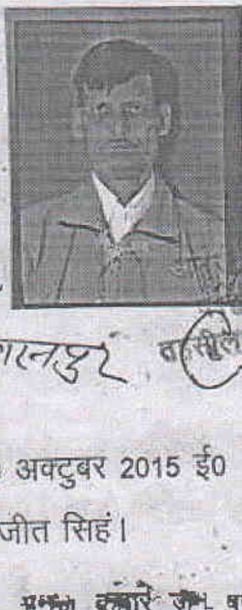

S/o ... 4/1075, Chakrata Road Saharanpur

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

लेख तिथि :– 20 अक्टुबर 2015 ई0

टाईपकर्ता :– इन्द्रजीत सिहं।

रचियता :–

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

आज दिनांक 20/10/2015 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 3520

पृष्ठ सं. 153 से 162 पर कमांक 10190

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ओमप्रकाश (प्रभारी)
उपनिबन्धक तृतीय
सहारनपुर
20/10/2015

Manager
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)

Principal
Himalayan International School
Sultanpur Chilkana (Saharanpur)